भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5585
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

पीएमएमवीवाई कवरेज और पहुंच अंतराल

5585. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंजाब में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक वर्षवार लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या मंत्रालय ने सामाजिक मानदंडों, सांस्कृतिक मान्यताओं और जागरुकता की कमी जैसी बाधाओं की पहचान की है जो समय पर गर्भावस्था पंजीकरण और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमएमवीवाई लाभों तक पहुंच में बाधा बनती हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पीएमएमवीवाई लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक प्रसव पूर्व देखभाल (एएनसी) को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पंजाब में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पूर्ण ए. एन. सी. जांच के संबंध में ए.एन.सी. कवरेज का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज/गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएमएमवीवाई लाभार्थियों को प्रसव पूर्व व्यापक देखभाल प्राप्त हो, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां कवरेज कम है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): पंजाब राज्य में पीएमएमवीवाई के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों, भुगतान किए गए लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या और संवितरित राशि नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	नामांकित लाभार्थी	भुगतान किए गए लाभार्थी	संवितरित राशि (करोड़ रुपये)
2017-18	60,052	38,074	7.86
2018-19	1,17,401	1,27,520	59.77
2019-20	1,06,767	1,05,641	50.08
2020-21	1,05,737	82,254	41.57
2021-22	81,212	47,089	19.11
2022-23	91,021	1,41,304	68.40
2023-24	1,26,948	83,221	39.47
2024-25	1,04,650	2,03,913	79.42

(ख): पीएमएमवीवाई देश के 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई है। ओडिशा सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई को लागू करने की प्रक्रिया में है और तेलंगाना सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई कार्यान्वित नहीं कर रही है। 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, यह योजना महिला एवं बाल विकास विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जहां आवेदन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के स्तर पर पंजीकृत होते हैं, और बाद की प्रक्रिया पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) और राज्य नोडल अधिकारी के स्तर पर की जाती है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के पांच राज्यों में, यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जहां मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के स्तर पर आवेदन पंजीकृत किए जाते हैं, और बाद की प्रक्रिया सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम), चिकित्सा अधिकारी और राज्य नोडल अधिकारी के स्तर पर पूरी की जाती है। पीएमएमवीवाई का पंजीकरण, प्रक्रियान्वयन और दिन-प्रतिदिन की निगरानी संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें करती हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय निधियां समय पर जारी की जाती हैं, बशर्ते वे राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) खाते में उपलब्ध निधियों का समय पर उपयोग करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे पीएमएमवीवाई योजना के तहत लाभार्थियों को भुगतान करें।

इसके अलावा, लाभार्थियों को उनके आवेदन और भुगतान की स्थिति का पता लगाने की सुविधा प्रदान करने के लिए, पीएमएमवीवाई पोर्टल पर एक 'ट्रैक एंड सर्च' सुविधा उपलब्ध है, जो आवेदन की तत्समय स्थिति बताती है। इसके अलावा, किसी भी लाभार्थी द्वारा पीएमएमवीवाई से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करने और उसका पता लगाने के लिए एक शिकायत निवारण मॉड्यूल लागू किया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) योजना के माध्यम से मातृत्व लाभ सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम संचालित करता है। इसमें सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) संबंधी विभिन्न गतिविधियां अर्थात प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स का प्रसारण, सेल्फी अभियान, घर-घर प्रचार, सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय पीएमएमवीवाई के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए समय-समय पर विशेष अभियान भी चला रहा है।

(ग) से (ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में आरंभिक प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मांग संवर्धन और सशर्त नकद अंतरण योजना है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) में प्रत्येक गर्भवती महिला को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सीजेरियन सहित निःशुल्क प्रसव का अधिकार देने के साथ ही निःशुल्क परिवहन, निदान, दवाइयां, रक्त, उपभोग की अन्य वस्तुएं और आहार की व्यवस्था भी की जाती है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) में हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की एक प्रसूति विशेषज्ञ/विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन, नि:शुल्क सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच की जाती है। गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था (एचआरपी) वाली महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण एएनसी सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित पीएमएसएमए कार्यनीति शुरू की गई तथा चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और उनके साथ जाने वाली आशा को पीएमएसएमए विजिट के अलावा तीन अतिरिक्त विजिट के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देकर सुरक्षित प्रसव होने तक प्रत्येक एचआरपी की ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाती है।
- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को नि:शुल्क, सम्मानजनक, आदरपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है तथा सेवा प्रदान करने से इनकार करने पर शून्य सहनशीलता बरती जाती है, ताकि सभी रोकी जा सकने वाली मातृ एवं नवजात मृत्यु को रोका जा सके।

- मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) आंगनवाड़ी केंद्रों पर आईसीडीएस के साथ समन्वय में पोषण सहित मातृ एवं शिशु देखभाल की व्यवस्था की एक आउटरीच गतिविधि है।
- स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए खास तौर पर जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों मेंआउटरीच कैंपों का प्रावधान किया गया है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और सामुदायिक जुटाव के लिए जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं पर नज़र रखने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में एएनसी के कवरेज का विवरण इस प्रकार है:

2021-22			**2022-23**			**2023-24**		
एएनसी के लिए पंजीकृत नई गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या	**कुल नए पंजीकृत एएनसी में से, पहली तिमाही (12 सप्ताह के अंदर) में पंजीकरण की संख्या**	**4 या अधिक एएनसी जांच कराने वाली पीडब्ल्यू की संख्या**	**एएनसी के लिए पंजीकृत नई गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या**	**कुल नए पंजीकृत एएनसी में से, पहली तिमाही (12 सप्ताह के अंदर) में पंजीकरण की संख्या**	**4 या अधिक एएनसी जांच कराने वाली पीडब्ल्यू की संख्या**	**एएनसी के लिए पंजीकृत नई गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या**	**कुल नए पंजीकृत एएनसी में से, पहली तिमाही (12 सप्ताह के अंदर) में पंजीकरण की संख्या**	**4 या अधिक एएनसी जांच कराने वाली पीडब्ल्यू की संख्या**
4,31,209	3,40,220	3,28,473	4,41,818	3,55,585	3,53,843	4,28,048	3,46,195	3,57,100

*****